मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004
:: आदेश::

1606/17
29/4/22

भोपाल, दिनांक 27/04/22

क्रमांक–एफ–6–27/2017/पैंतीस:: कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला श्योपुर द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षो में किए गए अनुदान वितरण की जांच कराने के संबंध में श्री रामभजन रावत श्योपुर द्वारा की गई शिकायत के संबंध में संचालक पशुपालन के प्रस्ताव दि028.08.2017 अनुसार डॉ0 एस0के0बरेठिया, उप संचालक, डॉ0 एल.एन. आयरवाल उप संचालकडॉ0 के0जी0द्विवेदी उप संचालक, डॉ0 एन.के.वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं डॉ0 बी0डी0जैन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को विभागीय पत्र दि0 26/02/2019 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

2/ उक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के प्रकाश में संचालक पशुपालन से अभिमत चाहा गया । संचालक पशुपालन ने निम्नानुसार अभिमत प्रस्तुत किया :–

डॉ0 ए.के.बरेठिया, उप संचालक	शासनादेश दि0 18.04.2012 द्वारा डॉ0 बरेठिया को श्योपुर जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त अधूरे अभिलेख एवं प्रविष्टियां पूर्ण करवाई गई। जांच अवधि में डॉ0 बरेठिया श्योपुर में पदस्थ नहीं थे। सूचना पत्र नस्तीबद्व किया जाना प्रस्तावित।
डॉ0एल.एन. आयरवाल, उप संचालक	डॉ0 आयरवाल के संबंध में सेवा संबंधी जानकारी शासन को प्रेषित की गई।
डॉ0 के.जी.द्विवेदी उप संचालक	डॉ0 द्विवेदी का श्योपुर का प्रभार अगस्त 2011 से अप्रैल 2012 तक रहा। इस अवधि में उनके द्वारा विभागीय योजनाओं की पूर्ति की गई। डॉ0 द्विवेदी दि0 31.05.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण नस्तीबद्व किया जाना प्रस्तावित ।
डॉ0 एन.के. वर्मा, पशु चिकि.सहा. शल्यज्ञ	वर्ष 2007–08 मे श्योपुर जिले में पदथी के दौरान पशुओं के प्रदाय के पश्चात हितग्राही से पावती रसीद लेकर वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसके प्रमाण स्वरूप उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर के साथ ही उक्त पावतियों की छायाप्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गई। तदानुसार डॉ0 वर्मा पर अनियमिता अथवा लापरवाही के आरोप सिद्व नहीं हुए।
डॉ0 बी0 डी0जैन पशु चिकि. सहायक शल्यज्ञ	प्रकरण लोकायुक्त में प्रचलन में है। अतः प्रचलित जांच के अंतिम निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जाना उचित होगा।

3/ उक्तानुसार संचालक पशुपालन के प्रस्ताव दि0 08.07.2021 पर पूर्णरूपेण विचार करने के उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 एस0के0बरेठिया, उप संचालक, डॉ0 एल. एन.आयरवाल उप संचालक,डॉ0 के0जी0द्विवेदी उप संचालक,डॉ0 एन.के.वर्मा,पशु चिकित्सा

..2...

सहायक शल्यज्ञ एवं डॉ0 बी0डी0जैन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के विरूद्व प्रचलित प्रकरण नस्तीबद्व करने का निर्णय करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
27/04/2022
(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,पशुपालन एवं डेयरी विभाग

पृ0 कमांकएफ–6–27/2017/पैंतीस:
दिनांक–27/04/2022

प्रतिलिपि:–

1/विशेष सहायक मान0 मंत्री जी पशुपालन एवं डेयरी,
2/निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
3/संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश भोपाल,
4/संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं,चंबल संभाग
5/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं श्योपुर,
6/ डॉ0 एस0के0बरेठिया, उप संचालक, डॉ0 एल.एन.आयरवाल उप संचालक, डॉ0 के0जी0द्विवेदी उप संचालक, डॉ0 एन.के.वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं डॉ0 बी0डी0जैन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ–द्वारा संचालक पशुपालन एवं डेयरी,भोपाल की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7/वेबसाइट प्रभारी की ओर अपलोड करने बावत।
8/स्टॉक फाइल.

MIS

28 APR 2022

27/04/2022
अवर सचिव
म.प्र.शासन,पशुपालन एवं डेयरी विभाग